न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/67

1. श्रीमती गणेशी बाई आयु 55 वर्ष पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. सुनील कुमार शर्मा आयु 32 वर्ष आत्मज स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. प्रियंका उर्फ मोना शर्मा आयु 30 वर्ष पुत्री स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर लाल आयु 35 वर्ष आत्मज लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. किशनलाल आयु 30 वर्ष आत्मज लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. रमेश चौधरी आयु 60 वर्ष आत्मज शंकर चौधरी जाति तेली निवासीगण रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. कन्हैया लाल उर्फ कान्हा गुर्जर आयु 50 वर्ष आत्मज देवा जाति गुर्जर निवासी आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्यामदत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 03.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की खेवट संख्या नयी 170 में खसरा नम्बर 718/62 रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम आकोदा में स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी कम 01 गणेशी बाई पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम आत्मज छीतर लाल को दिनांक 20.01.1983 को आवंटित हुई थी तब से ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं एंव आधौली पर काश्त करवाते आ रहे हैं । उक्त भूमि लगभग 33 वर्ष पूर्व प्रार्थिया के पति को आवंटित हुई थी । आवंटन के बाद प्रार्थिया के पति उक्त भूमि पर जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थिया खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चली आ रही है । प्रार्थिया विधवा महिला होने से उक्त भूमि को स्वयं भी काश्त करती और आदौली पर ही काश्त करवाती है । आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् काननून स्वतः ही आवंटी आवंटित भूमि का खातेदार काश्तकार बन जाता है । इस प्रकार प्रार्थिया के पति उक्त भूमि के स्वतः ही खातेदार बन चुके हैं । अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत रूप से उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं । अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे तथा प्रार्थिया के हितों के रक्षार्थ प्रार्थिया की भूमि पर ताफैसला वाद तहसीलदार हिण्डोली को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद तहसीलदार हिण्डोली को रिसीवर नियुक्त किया जावे । विकल्प में यरिद रिसीवर नियुक्त किया जाना संभव नहीं हो तो प्रार्थीगण की कृषि भूमि से अनुचित लाभ प्राप्त करने व प्रार्थीगण को कृषि लाभ से वंचित करने के हर्जाने स्वरूप अप्रार्थीगण से 5000/– प्रतिबीघा प्रति फसल नगद प्रतिभूति राशि जमा करवायी जावे ।

4. अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.03.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट कम 01 सीनियर सिटीजन व विधवा महिला है जिनके हितों की न्यायालय द्वारा संरक्षित करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त नहीं कर नगद प्रतिभूमि राशि का आदेश जारी नहीं कर अतिक्रमियों को प्रोटेक्ट करने में भारी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी विधवा अपीलान्ट गणेशी बाई के पति की आंवटित भूमि है । आवंटित भूमि की चर्तुसीमा अपील व रिसीवर प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा अंकित की हैं और आवंटित भूमि की डीआरएमपी योजना के तहत राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गई है । रेस्पोडेन्ट विधवा वृद्ध अपीलान्ट के कब्जे में दखलन्दाजी करने पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 349/16 पेश किया जिसमें दिनांक 20.07.2016 को अन्तरिम स्थगन आदेश के बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 15.06.2017 को भूमि पर कब्जा कर लेने तथा अपीलान्ट को भूमि पर से बेदखल कर देने पर अपीलान्ट ने मूल वाद जो स्थायी निषेधाज्ञा व खातेदारी घोषणा बाबत् पेश किया था जिसमें दौराने वाद कब्जा करने से वादी अपीलान्ट ने धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादिनी को इसी वाद में कब्जा दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार हुआ है और भूमि पर कब्जा कर लेने पर प्रार्थिया ने थाना दबलाना में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ग्राम पंचायत आमोदा का सरपंच होने व राजनीतिक पहुंच होने से पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर रिसीवर का प्रार्थना पत्र पेश किया है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया है कि हमारा अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा नहीं है और अपीलान्ट ने हमारे विरूद्ध कार्यवाही गलत पेश की है जो मिथ्या कथन है, जबकि जून 2017 को अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करने के बाद रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के आवंटन को खारिज करवाने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी के यहॉ कार्यवाही पेश की थी । अपीलान्ट के हितों की रक्षार्थ व वाद के विचाराधीन होने के दौरान सम्पत्ति को सुरक्षित करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । आकोदा ग्राम रामगढ अभ्यारण्य की सीमा में है । अतः यहॉ रिकॉर्ड में न्यूनतम रद्दोबदल किये जाते हैं तथा हमें खातेदारी प्राप्त नहीं हो रही है । अन्य किसी काश्तकार को उक्त क्षेत्र में खातेदारी अधिकार नहीं मिल रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मेरे प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के समबन्ध में विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार हिण्डोली को रिसीवर नियुक्त किया जावे । विकल्प में 5000/– प्रतिबीघा प्रतिफसल के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा करवाये जाने के आदेश पारित किये जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2013 पेज 341, आरआरटी 2019 (2) पेज 1482, आरआरटी 2015 (1) पेज 283, आरआरटी 2018 (1) पेज 220 उद्धृत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को अपनी भूमि की चर्तुसीमा बतानी होगी जो उनके द्वारा नहीं बताई गई है । क्या आवंटन पत्र में चतुर्सीमा है ? अपीलान्ट ने कोई चतुर्सीमा का दखलनामा पेश नहीं किया है । अपीलान्ट ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में किसी पडौसी काश्तकार का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 74 बीघा 14 बिस्वा में से खसरा नम्बर 62 मिन /2 रकबा 05 बीघा बनाया है उक्त रकबे का तरमीम नक्शा ट्रेस नहीं दिया गया है । अपीलान्ट उक्त भूमि को सन्

1983 में आवंटित होना बताया है परन्तु तरमीम नहीं हुई है । अपीलान्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ उससे पहले ही रिसीवर नियुक्त करने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया । अपीलान्ट ने अभ्यारभ्य को पक्षकार नहीं बनाया है । हमने कोई अविधिक कब्जा नहीं किया है । अपीलान्ट ने हमे पक्षकार बनाया इसलिए प्लीड करने उपस्थित हूँ । यदि मेरे द्वारा अपीलान्ट को गैर कानूनी रूप से ऐसा किया जा रहा है तो आज तक इन्होंने थाने में कोई एफआईआर क्यों नहीं करवायी ? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 349/2016 जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.07.2016 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 170 में खसरा नम्बर 718/62 रकबा 05 बीघा भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु अन्तरिम आदेश पारित किया था । उक्त आदेश का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है उससे पूर्व ही अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर दिया । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का हमारे समक्ष दौराने बहस यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन्होंने मुझे पक्षकार बनाया इसलिए हमें प्लीड करना पड रहा है तथा हमने कोई कब्जा नहीं किया है क्योंकि तरमीन की स्थिति बडे खसरे में स्पष्ट नहीं है । उपर्युक्त स्थिति में रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का औचित्य ही शेष नहीं रहता है । विवादित भूमि की तरमीन की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है । ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा